संख्या-23/2022/I/210774/2022/002-46-1002-003-2-2022

प्रेषक,

डॉ. रुपेश कुमार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

गन्ना एवं चीनी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 08 सितम्बर, 2022

विषय-उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत गैर वेतन मद हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-125/लेखा-बजट(चीनी)/, दिनांक 05-08-2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहॉपुर को अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान सामान्य(गैर वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष शासनादेश संख्या-15/2022/I/158117/2022/001-46-1002-003-2-2022, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा निर्गत प्रथम किश्त की धनराशि **रू. 69.00 लाख (रूपये उनत्तर लाख मात्र)** को समायोजित/घटाते हुए प्राविधानित धनराशि **रू.576.20 लाख (रूपया पॉच करोड़ छिहत्तर लाख बीस हजार मात्र)** के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि **रू.174.894 लाख** (**रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार चार सौ मात्र**) की निम्नलिखित मदों में आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ आपके निर्वतन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख रू. में)

	20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राजकीय अनुदान से मॉग	वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	विद्युत व्यय	140.20	47.00	--
2	प्रयोगशाला आपरेशन	36.50	12.00	--
3	गोष्ठी, नेशनल सेमीनार एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार में भाग लेने कृषक गोष्ठी/प्रदर्शनी हेतु	8.00	--	--
4	गाड़ियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल	5.00	1.50	--
5	विविध एवं अन्य आकस्मिक व्यय	30.00	7.00	--
6	आवश्यक निर्माण विशेष मरम्मत	254.00	--	**164.894** **(शासनादेश संख्या-03/2022//**I/135823/2022/46-1002(002)/6/2021, **दिनांक 27 जनवरी,** 2022 **के संलग्नक में उल्लिखित कार्यों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित लागत हेतु)**
7	उपकरण कृषि यंत्र एवं शोध जनर्ल्स	91.50	--	**10.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8	केन्द्रीय प्रयोगशाला	2.00	--	--
9	सेन्टर फार शुगरकेन बायोटेक्नोलोजी एवं चीनी उत्पादकता के परिप्रेक्ष्य में क्यू.टी.एल. विश्लेषण तथा जीनमैपिंग हेतु।	4.00	1.00	--
10	गन्ना उपज एवं चीनी परता में वृद्वि हेतु मृदा में सूक्ष्म तत्वों के स्तर का प्रबन्धन	5.00	0.50	--
	योग	**576.20**	**69.00**	**174.894**

(रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार चार सौ मात्र)

<u>नियम एवं शर्तें:-</u>

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(5) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,74,89,400 (रुपये एक करोड़ चौहत्तर लाख नवासी हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 024 **लेखा शीर्षक** 2401001080303 उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-65-X-2022-23-दिनांक:7-9-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ. रुपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-23/2022/I/210774/2022/002 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला कोषागार, शाहजहॉपुर।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in